राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 171/2024

कृष्ण कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव (प्रशासन), राजस्व विभाग (ग्रुप–1), शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 22.03.2024

उपस्थित–

अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस. सिद्धू, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर तहसील कार्यालय भादरा, जिला हनुमानगढ़ में कार्यरत है। आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से आंतरिक लेखा जांच दल (आय) मुख्यालय बीकानेर में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का पदस्थापन वर्तमान पद पर आदेश दिनांक 27.09.2019 के द्वारा किया गया था। अपीलार्थी से पूर्व में तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ में तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर अन्य कार्मिक भी कार्यरत है, जो अपीलार्थी से अधिक समय से वहां कार्यरत है, परन्तु उनका स्थानांतरण न करते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि पूर्व में वर्ष 2023 में तहसील राजस्व लेखाकार के 45 पद समाप्त किए गए थे, जिनमें से तहसील भादरा में से एक पद समाप्त किया गया और समाप्त किए जाने के पश्चात् जिला हनुमानगढ़ में 9 पद ही तहसील राजस्व लेखाकार के रहे। तहसील भादरा में एक पद समाप्त होने पर वहां पदस्थापित श्रीमती कविता का वेतन अन्य पद के विरूद्ध आहरित करने के आदेश दिए गए, अतः वर्तमान में श्रीमती कविता अधिशेष है, उन्हें स्थानांतरित न करते हुए अपीलार्थी को स्थानांतरित किया गया है, जो गलत है।

3. अपीलार्थी द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया।

4. अपीलार्थी का प्रथम तथ्य यह रहा है कि अपीलार्थी से पूर्व में ही अन्य कार्मिक तहसील भादरा में पदस्थापित है जिनका स्थानांतरण न करते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, इस संबंध में हमारा मत है कि यह आवश्यक नहीं है कि स्थानांतरण किए जाने में पदस्थापन की अवधि को ही एकमात्र आधार बनाया जावे। प्रशासन को यह अधिकार है कि प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया जा सकता है कि किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेनी है। यदि अपीलार्थी की सेवाएं प्रशासन द्वारा अन्य स्थान पर लिया जाना तय किया गया है तो ऐसे प्रशासनिक आदेश में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं बनता है। अपीलार्थी का दूसरा तर्क यह रहा है कि श्रीमती कविता तहसील भादरा में अधिशेष है, जिन्हें स्थानांतरित न करते हुए अपीलार्थी को स्थानांतरित किया गया है। इस तर्क के संबंध में हमारा मत है कि श्रीमती कविता दिनांक 15.02.2021 को तहसील कार्यालय भादरा में पदस्थापित हुई है। उनके पश्चात् श्रीमती प्रमिला दिनांक 16.01.2023 को पदस्थापित हुई है, जो तथ्य अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पदस्थापन दिनांक सूची अनुलग्नक–2 से प्रकट होता है। ऐसे में यह माना जा सकता है कि श्रीमती कविता को ही भादरा में अधिशेष माना जाए। श्रीमती कविता के मामले में यह आदेश पारित किया जाना कि उनका वेतन अन्य पद से आहरित किया जाए, इस बात को स्पष्ट नहीं करता है कि वह अधिशेष हो। वेतन अन्य पद से आहरित करने का आदेश भादरा में एक पद समाप्त किए जाने के कारण पारित किया गया है। हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं है कि श्रीमती कविता अधिशेष हो गई है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह यह निर्णय ले सके कि किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेनी है। हमारे समक्ष यह भी प्रकट होता है कि अपीलार्थी दिनांक 27.09.2019 से तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ में पदस्थापित है और दिनांक 17.07.2013 से जिला हनुमानगढ़ में पदस्थापित है। ऐसे में अपीलार्थी को जिला हनुमानगढ में पर्याप्त समय तक पदस्थापित रखने के पश्चात् अपीलार्थी को स्थानांतरित किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि व दुर्भावना होना प्रकट नहीं होता है।

5. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हम इस स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार होना नहीं पाते है। परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)